राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19879/2023

पी के ट्यूब्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उत्तम सिंह रावत पुत्र श्री बचन सिंह, उम्र लगभग 48 वर्ष के माध्यम से होता है, जिनका - (ए) पंजीकृत कार्यालय पता - ए-333, पुरानी संपत्ति संख्या 3, फ्लैट संख्या ए-2, प्रथम तल खं. संख्या 258, गली संख्या 35, छतरपुर एन्क्लेव, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110074 (भारत) है। और (बी) कार्यालय पता - ए 458, चोपानकी औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर राजस्थान - 301019 (भारत) है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य कर उपायुक्त, वृत्त-सी, भिवाड़ी, जोन भिवाड़ी, जिला अलवर, कार्यालय कमरा नंबर -07, कर भवन, यूआईटी सेक्टर -06, अग्रवाल धर्मशाला के पास, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान - 301019 (भारत)।
2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिल्ली - 110001 (भारत)।
3. भारत संघ, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अपने सचिव के माध्यम से, कमरा संख्या 46, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिल्ली - 110001 (भारत)।
4. राजस्थान राज्य, संयुक्त सचिव (कर), वित्त विभाग, प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, राजस्थान के माध्यम से।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री प्रतीक केदावत
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री. भरत व्यास, ए.ए.जी. के साथ
श्री लोकेश जांगिड़
श्री जय लोढ़ा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन
माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

19/02/2024

अवनीश झिंगन, जे **(मौखिक):**

1. यह याचिका राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'आरजीएसटी अधिनियम, 2017') की धारा 73 के तहत पारित दिनांक 21.08.2023 के आदेश को रद्द करने के साथ-साथ परिणामी मांग की मांग करते हुए दायर की गई है।

(29/05/2025 को 11:39:52 पूर्वाह्न पर डाउनलोड किया गया)

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की कर अवधि के लिए, याचिकाकर्ता ने रिटर्न दाखिल किया था। 08.02.2023 को, याचिकाकर्ता को जाँच के दौरान दाखिल रिटर्न में पाई गई विसंगतियों की सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया और 26.04.2023 को कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में 'एससीएन') जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने एससीएन का जवाब दाखिल न करने का विकल्प चुना और उसके बाद, 21.06.2023 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें जुर्माना लगाने सहित एक मांग प्रस्तुत की गई।

3. उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रारंभिक मुद्दा उठाया है कि उत्तरदाता के पास केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 के तहत अपील का उपाय है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि रिटर्न दाखिल करने में वास्तविक गलती हुई थी।

5. याचिकाकर्ता के पास अपील का वैधानिक उपाय है। याचिकाकर्ता को 08.02.2023 और 26.04.2023 को नोटिस जारी करके कम से कम दो अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रिटर्न दाखिल करने में हुई वास्तविक गलती के कारण उठाया गया विवाद तथ्यात्मक पहलू से जुड़ा है। रिट में तथ्य का विवादित प्रश्न शामिल है, इसलिए रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता। रिट याचिका खारिज की जाती है।

6. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त हो गई है।

7. यदि अपील के साथ-साथ सीमा अधिनियम के तहत आवेदन भी प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अपीलीय प्राधिकारी अपील के लंबित रहने पर विचार करेगा।

(शुभा मेहता**),** जे **(**अवनीश झिंगन**),** जे

सिंपल कुमावत/10

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

(29/05/2025 को 11:39:52 पूर्वाह्न पर डाउनलोड किया गया)

Tarun Mehra

Advocate

(29/05/2025 को 11:39:52 पूर्वाह्न पर डाउनलोड किया गया)